

14.07.2022:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार छोडा द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ राजीनाम हो गया है इस कारण वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहते। वादपत्र मौजूदा सूरत मे ही खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकार पर हस्ताक्षर किये no objection किया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़